30 5/10 प्रस्तावना कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को ता. फैसला बाद में सुनाया जाने की सूचना दे पक्षकार दोनों पक्ष सुनना चाहे तो फैसला या सूचना व सूचना देकर की प्रथा पहले ही बनाये रखें। प्रस्तावना फैसला शुभारम्भ होकर गवाह से काम हो तब बाद कार्यालय सुनाया जाए।